प्रेस नोट दि0-28.02.2026

प्रेस नोट दिनांक- 28.02.2026
थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा "हत्या" के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार-

अभियुक्त/अभियुक्ता को थाना मान्धाता पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत परसरामपुर में मदरसे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 26.02.2026 को वादिनी निवासी दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के अनुसार लगभग 10-12 दिन पहले आरीपी नियाजउद्दीन दहिलामऊ आकर प्रार्थिनी की पुत्री आयशा को यह कह कर ले गया कि दादा-दादी को दिखाने ले जा रहा हूँ। उसी दौरान घर सूचना दिया कि आप की पुत्री की मृत्यू हो गयी है। जिसके बाद प्रार्थिनी मौके पर रोते विलखते गई तो देखा कि प्रार्थिनी की पुत्री का शव चार पाई पर पड़ा था प्रार्थिनी की पुत्री की हत्या नियाजउद्दीन सुत निजामउद्दीन व उनकी दूसरी पत्नी साबिया बानो उर्फ शेबी ने षडयन्त्र करके कर दिया है। इस संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0स0 22/26 धारा 103 (1)/61 (2)(a) बीएनएस बनाम 02 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह हमराह का0 आनन्द यादव, का० हरिपाल मय सरकारी, चालक हे0 का० रतन लाल त्रिपाठी, उ0नि0 श्री प्रभात वर्मा व उ0नि0 श्री अनूप यादव, म0का0 प्रीती मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 22/26 धारा 103 (1)/61 (2)(a) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता, 1.नियाजउद्दीन पुत्र निजामउद्दीन निवासी ग्राम परसरामपुर शोभीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 33 वर्ष, 2.साबिया बानों उर्फ शेबी पत्नी नियाजउद्दीन निवासीगण परसरामपुर, शोभीपुर, थाना-मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत परसरामपुर में मदरसे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्ता ने बताया की मैंने उसी के दुपट्टे को उतार कर क्रोध में हाथ से उसका मुंह और नाक कसकर दबा दिया था जिससे वह छटपटा कर गिर गई गिरने के बाद जब उसकी सांस नहीं चल रही थी तब मैंने उसको धीरे से उठाकर छत पर लिटा दिया कि किसी को पता ना चले और वहां से नीचे आकर अपने घर का काम धाम करने लगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1.नियाजउद्दीन पुत्र निजामउद्दीन निवासी ग्राम परसरामपुर शोभीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 33 वर्ष।
2.साबिया बानों उर्फ शेबी पत्नी नियाजउद्दीन निवासीगण परसरामपुर, शोभीपुर, थाना-मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह हमराह का0 आनन्द यादव, का० हरिपाल मय सरकारी, चालक हे0 का० रतन लाल त्रिपाठी, उ0नि0 श्री प्रभात वर्मा व उ0नि0 श्री अनूप यादव, म0का0 प्रीती मिश्रा थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 28.02.2026
थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत रखहा बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है

प्रतापगढ़।
दिनांक 18.06.2025 को वादी निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर, थाना दिलीपपुर द्वारा तहरीर दी गई कि आरोपीगण एक राय होकर कट्टा, कुल्हाड़ी, बांका, लोहे की रॉड व लाठी-डंडों से लैस होकर उसके दरवाजे पर चढ़ आए तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फायरिंग एवं मारपीट की। घटना में 01 व्यक्ति को गोली लगने से गंभीर चोट आई तथा अन्य परिजनों को धारदार हथियार एवं लाठी-डंडों से प्रहार कर घायल कर दिया गया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 108/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/110/288 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 23 नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर के उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह का0 निर्दोष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 108/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/110/288 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त नागेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपुर प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत रखहा बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. नागेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपुर प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह का0 निर्दोष कुमार थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 28.02.2026
थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश — 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 07 चोरी की मोटरसाइकिलें व 01 ई-रिक्शा बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस को बड़ी सफलता — 07 चोरी की मोटरसाइकिलों सहित 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, व घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा बरामद-

पूछताछ में बड़ा खुलासा— 03 सदस्यीय गिरोह भीड़भाड़ वाले स्थानों की पहले करता था रेकी, सुनियोजित तरीके से मोटरसाइकिल चोरी कर झाड़ियों में छिपाकर सस्ते दामों में बेच देता था-

थाना फतनपुर क्षेत्र के सुवंसा नहर मोड़ से शातिर वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया-

थाना फतनपुर क्षेत्र के रायबट्टी पाल सिंह इंटर कॉलेज, बीरापुर से मोटरसाइकिल चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय अभियोग पंजीकृत किया गया था-

प्रतापगढ़।
वादिनी निवासी ग्राम भांडा लहौरा, थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही वर्तमान में अपने पुत्र के साथ मायके ग्राम विक्रमपुर नौडेरा, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में निवास कर रही हैं। वादिनी द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 23.02.2026 को उनका पुत्र परीक्षा देने हेतु हीरो स्प्लेंडर मोटर साइकिल संख्या UP 66 AL 6427 से रायबट्टी पाल सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, बीरापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ गया था। उसी दिन उक्त मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। उक्त के संबंध में फतनपुर में मु0अ0सं0 43/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता व उ0नि0 सन्तोष कुमार वर्मा मय हमराह हे0 का0 मनोज कुमार, का0 अजय यादव, का0 सुजीत यादव, का0 आशुतोष तिवारी व का0 सर्वेश कुमार पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 43/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. नमन सरोज उर्फ प्रियांशु राज उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र सुनील कुमार सरोज निवासी ग्राम कोडापुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज, 02. कृष्ण कुमार सरोज उर्फ गामा उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र जंगबहादुर सरोज निवासी ग्राम पूरेगोसाईं घूरिपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़, 03. बबलू सरोज उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र शिवशंकर सरोज निवासी ग्राम पूरेगोसाईं थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 07 अदद मोटर साइकिल व घटना मे प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्शा के साथ थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत सुवन्सा नहर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 07 अदद मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्शा भी बरामद किया गया है, जिसे धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि स्प्लेन्डर मोटर साइकिल को हम लोगों ने रायबदीपाल इण्टर कालेज बीरापुर थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से चुराया था। हम लोगो ने मिलकर और भी मोटरसाइकिले चुराई है जो एक जगह झाड़ में छिपा कर रखा है जहाँ पर कोई आता जाता नही है। हम लोग चोरी की गयी मो0सा० को झाडियों में छिपाकर आर रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया। हमलोग चोरी की हुयी मोटर साइकिलों को सस्ते दामो में बेच देते है। मो0सा० को बेचने से जो पैसा मिलता है उससे अपने ऐशोआराम और शौक पूरा करते है। अभियुक्तों की निशानदेही पर बताये स्थान से अन्य 06 अदद मो0 सा० मिली।

अभियुक्तों द्वारा एकराय होकर बताया कि हम लोग घूम फिर पहले वाहन चोरी के लिए स्थानों की रैकी करते है तथा ऐसे स्थानों का चयन चोरी करने के लिए करते हैं। जहाँ पर काफी भीड़ भाड़ हो। हम लोग कम से कम 03 लोग गाडियो की चोरी करने के लिए जाते है। अभियुक्त बबलू सरोज कब्जे से चाभी मिला, पूछने पर बता रहा है कि यह ई-रिक्सा की चाभी है जिसे दुकान पर खडा किया हूं। जिसे लेने के लिए जा रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया। ई-रिक्सा से सवारी ढोता हूं साथ ही रैकी भी करता हूं जिससे लोगो को सक न हो सके।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. नमन सरोज उर्फ प्रियांशु राज उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र सुनील कुमार सरोज निवासी ग्राम कोडापुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज।
02. कृष्ण कुमार सरोज उर्फ गामा उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र जंगबहादुर सरोज निवासी ग्राम पूरेगोसाईं घूरिपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

03. बबलू सरोज उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र शिवशंकर सरोज निवासी ग्राम पूरेगोसाईं थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त कृष्ण कुमार सरोज उर्फ गामा उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र जंगबहादुर सरोज निवासी ग्राम पूरेगोसाईं घूरिपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 312/2022 धारा 411/413/414/467/468/471/419/420 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 43/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. अभियोग उपरोक्त से संबंधित स्प्लेन्डर काले रंग की मोटर साइकिल (UP 66 AL 6427 HERO) बरामद।

02. पल्सर काला रंग(UP 70 AZ 9796) बरामद।

03. हीरो स्पलेडर काला रंग(UP 70 EL 2679) बरामद।

04. हीरो पैसन प्रो काले रंग(UP 64 AC 1865) बरामद।

05. हीरो HF Delux काला रंग(UP 72 Z 2614) बरामद।

06. होण्डा साइन काले रंग बरामद।

07. HERO स्प्लेन्डर काले रंग बरामद।

08. घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्सा सफेद रंग बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता व उ0नि0 सन्तोष कुमार वर्मा मय हमराह हे0 का0 मनोज कुमार, का0 अजय यादव, का0 सुजीत यादव, का0 आशुतोष तिवारी व का0 सर्वेश कुमार पटेल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।